संख्या-36/2026/I/1258690/2026/001-71-2099-262-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक- 07-03-2026

विषयः-संस्थान के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व संयुक्त चिकित्सालय) में इमरजेन्सी ब्लाक, ब्लड बैंक, ओपीडी ब्लाक, रेडियोलाजी ब्लाक, एम0आर0आई0 सेन्टर, गाइनो विंग, पैथोलाजी, आईसीयू एवं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में सेन्ट्रल ए0सी0 कार्य के उपरान्त परियोजना के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2370/डा0रा0म0लो0आ0सं0/अभियंत्रण(विद्युत)/2025, दिनांक 04.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व संयुक्त चिकित्सालय) में इमरजेन्सी ब्लाक, ब्लड बैंक, ओपीडी ब्लाक, रेडियोलाजी ब्लाक, एम0आर0आई0 सेन्टर, गाइनो विंग, पैथोलाजी, आईसीयू एवं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में सेन्ट्रल ए0सी0 कार्य के उपरान्त परियोजना के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि रू0 29,40,891.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को मूल स्वीकृत लागत की धनराशि रू0 1305.07 लाख एवं जी0एस0टी0 मद में रू0 1,18,60,883.00 अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत व्यय विवरण के अनुसार जी0एस0टी0 मद में धनराशि रू0 1,48,01,774.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 1,18,60,883.00 की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 29,40,891.00 का भुगतान किया जाना है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के 24-वृहत निर्माण कार्य मद से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व संयुक्त चिकित्सालय) में इमरजेन्सी ब्लाक, ब्लड बैंक, ओपीडी ब्लाक, रेडियोलाजी ब्लाक, एम0आर0आई0 सेन्टर, गाइनो विंग, पैथोलाजी, आईसीयू एवं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में सेन्ट्रल ए0सी0 कार्य के उपरान्त परियोजना के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि रू0 29,40,891.00 (रुपये उनतीस लाख चालीस हजार आठ सौ इक्यानबे मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों व अन्य निर्माण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त जी0एस0टी0 की धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
5. संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ो का पुनः मिलान कर लिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाये।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहंरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,40,891 (रुपये उनतीस लाख चालीस हजार आठ सौ इक्यानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या-36/2026/I/1258690/2026/001-71-2099-262-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
9- वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in